

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(61)नविवि/3/96-पार्ट

जयपुर, दिनांक 8 APR 2010

परिपत्र

पूर्व में पर्यटन इकाई नीति -- 2007 के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.12.2007 जारी किया जाकर नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि रूपान्तरण, पुरा सम्पत्तिया (जो आवासीय या अन्य उपयोग में आ रही हैं) को होटल एवं अन्य पर्यटन इकाईयों में सम्परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में, हैरिटेज पुरा सम्पत्तियों व आवासीय भूखण्डों व भवनों में चल रहे होटल के नियमन, एफ.ए.आर में वृद्धि आदि में छूट दी गई थी। यह छूट पर्यटन इकाई नीति -- 2007 की पालना में पर्यटन इकाईयों के मार्च, 2010 तक स्थापित किये जाने की शर्त पर जारी की गई थी।

उक्त परिपत्र दिनांक 24.12.2007 के द्वारा दी गई छूट दिनांक 31 मार्च, 2011 तक स्थापित किये जाने वाली पर्यटन इकाईयों को, प्रदान करने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कृपया अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करें।
13. निदेशक, पर्यटन विभाग।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
15. अध्यक्ष / सचिव, नगर विकास न्यास, रामस्त।
16. रक्षित नत्रावली।


शासन उप सचिव - प्रथम